न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 40/2012

RCMA Sace No. 2012/00090

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
नथमल पुत्र गोपाराम जाति सरगरा निवासी बगडी हाल रडावास तहसील मा0जं0		1. तहसीलदार मा0जं0 2. पूमनराम भू0अ0नि0 राणावास

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
रेस्पोडेन्ट संख्या 2 एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित।
श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार

–: निर्णय :–

दिनांकः–11/5/2018

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राज भूराजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा प्रकरण संख्या 01/2012 सरकार बनाम गजेन्द्रसिंह में पारित आदेश दिनांक 18.06.2012 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा दिनांक 07.08.2012 के द्वारा रेकर्ड प्रस्तुत किया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि मौजा रडावास के खसरा नम्बर 458 में कुर्कसुदा कच्ची ईंटों को तहसीलदार मारवाड जंक्शन के आदेश दिनांक 14.05.2012 की पालनार्थ भू0अ0नि0 राणावास द्वारा दिनांक 18.05.2012 को नीलाम करने पर अन्तिम नीलामी बोली अपीलाण्ट की 1,51,000/– रूपये की रहने से अपीलाण्ट द्वारा तत्काल 1/4 राशि 27,750/– भू0अ0नि0 के पास जमा करवाये। नीलामी स्वीकृति आदेश अपीलाण्ट को उपलब्ध नही कराने एवं ईंटों की संख्या के सम्बन्ध में अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 25.05.2012 को तहसीलदार मारवाड जंक्शन के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा यह निवेदन किया कि अपीलाण्ट नीलामी की 3/4 राशि जमा कराने का तैयार है। इसका तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा कोई जवाब नही दिया। इस पर अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 28.05.2012 को इसी सन्दर्भ में एक ओर पत्र प्रेषित किया, किन्तु इन पत्रों का तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा किसी प्रकार का प्रत्युत्तर प्रेषित नही किया। इस पर दिनांक 09.07.2012 को अपीलाण्ट ने तहसीलदार मारवाड जंक्शन के समक्ष प्रकरण से सम्बन्धित दस्तावेजात् की नकले प्रदान कराने हेतु प्रार्थना

अति. जिला कलेक्टर, पाली

पत्र प्रस्तुत किया, तब अपीलाण्ट को ज्ञात हुआ कि अपीलाण्ट की जमासुदा 1/4 राशि 37750/– को जब्त किया जाकर द्वितीय बोलीदाता कुलदीपसिंह राजपूत निवीस रडावास, जिसकी बोली 1,25,000/– रूपये की थी, उसके नाम ईंटों की स्वीकृति दिनांक 18.06.2012 को जारी हो चुकी है। तहसीलदार मारवाड जंक्शन ने अपनी मनमर्जी से अपीलाण्ट की जमासुदा 1/4 राशि को जब्त कर दिनांक 18.06.2012 को द्वितीय बोलीदाता के नाम स्वीकृति जारी कर दी। दिनांक 22.06.2012 को तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा कुलदीपसिंह के घर पर जाकर मौका फर्द बनाई एवं कुलदीपसिंह तो नही मिला, उसकी बहिन व माता से फर्द पर हस्ताक्षर करवाये गये कि हमें ईंटें नही चाहिये, किन्तु उक्त नीलामी को निरस्त किये बिना तहसीलदार मारवाड जंक्शन ने पुनः नीलामी बोली दिनांक 26.06.2012, 29.06.2012 एवं 06.07.2012 को रखी, जो गैर कानूनी थी। दिनांक 06.07.2012 को जो नीलामी रखी गई, उसमें सरकारी बोली 10,000/– रूपये रखी गई तथा भू0अ0नि0 को नीलाम करने का आदेश दिया गया, जबकि पूर्व में दिनांक 18.05.2012 को जो नीलामी रखी गई थी, उसमें सरकारी बोली 51000/– रूपये थी एवं अन्तिम बोली 1,51,000/– रूपये अपीलाण्ट के नाम रही थी। तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा अपीलाण्ट को जो नोटिस जारी किये गये, वे नोटिस भी प्रोपर तामील नही हुए, क्योंकि अपीलाण्ट का ग्राम रडावास में रहवासीय मकान ही नही था, तो उक्त नोटिस अपीलाण्ट के किस मकान पर चस्पा किये गये ? यह स्पष्ट नही है। अपीलाण्ट को 3/4 राशि जमा कराने हेतु किसी प्रकार का नोटिस जारी नही किया गया, बल्कि अपीलाण्ट ने राशि जमा कराने हेतु निवेदन करने पर तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नही की। दिनांक 06.07.2012 को नीलामी की अन्तिम बोली 20,000/– रूपये रही, जिसको तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा उसी रोज दिनांक 06.07.2012 को ही स्वीकृत करने वाले थे, तब उपखण्ड अधिकारी के आदेशानुसार उक्त नीलाम बोली को निरस्त किया गया एवं पुनः नीलामी दिनांक 12.07.2012 को रखी गई। खसरा नम्बर 458 के सह खातेदार श्रीमति जसकंवर एवं श्री जब्बरसिंह ने दिनांक 14.05.2012 को प्रकरण में फाईनल जवाब पेश करने हेतु समय चाहा एवं उक्त ईंटे 3 लाख न हो कर 6 लाख होना बताया। इसकी सम्पूर्ण जांच करवाये बिना ही तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा इसी दिनांक को फैसला कर दिया गया। उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही के पश्चात दिनांक 09.07.2012 को तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा ईंटो की गिनती करने हेतु भू0अ0नि0 राणावास को लिखा गया, जबकि तहसीलदार मा0जं0 को यह पता था कि वर्षा का मौसम आरम्भ हो चुका है तथा ईंट क्षतिग्रस्त एवं खुर्द बुर्द हो चुकी होगी। उक्त ईंटे तहसीलदार द्वारा दूरभाष पर आदेश देकर पटवारी हल्का एवं भू0अ0नि0 के द्वारा दिनांक 18.04.2012 को कुर्क कराई थी। इसी दिन उक्त कागजात तहसीलदार मारवाड जंक्शन के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये थे, किन्तु तहसीलदार मा0जं0 द्वारा अतिक्रमियों से सांठ गांठ कर उक्त मामले एवं प्रकरण संख्या 02/2012 अन्तर्गत धारा 90 ए, आर0एल0आर0एक्ट सरकार बनाम लक्ष्मणसिंह वगैरा में प्रकरण 12 दिन पश्चात दर्ज किया। प्रकरण संख्या 1/2012 अन्तर्गत धारा 90 ए, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम सरकार बनाम गजेन्द्रसिंह वगैरा

एवं प्रकरण संख्या 2/2012 में बनाये गये ईंट भट्टे वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ बनाये गये थे एवं भू0अ0नि0 राणावास एवं पटवारी हल्का रडावास ने जो मौका फर्द दिनांक 18.04.2012 को बनाई, उस पर अतिक्रमियों के हस्ताक्षर है। उक्त प्रकरणों में नियत तारीख पेशी दिनांक 14.05.2012 को थी, किन्तु तहसीलदार द्वारा इससे पूर्व दिनांक 09.05.2012 को निर्णय पारित कर उक्त ईंट भट्टो को रिलिज कर दिया। सम्पूर्ण प्रकरण में तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा गलत आदेश पारित कर प्रकरण को दिनांक 18.05.2012 से लटकाकर रखा एवं दिनांक 18.06.2012 को अपीलाण्ट का जमासुदा 1/4 राशि को जब्त करने के आदेश दिये गये, जो गैर कानूनी है। अतः अपील स्वीकार करावे एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए नीलामी कार्यवाही की गई है। अपीलाण्ट के नाम अन्तिम बोली रहने के कारण 1/4 राशि प्राप्त की गई एवं शेष 3/4 राशि जमा कराने हेतु अपीलाण्ट को पर्याप्त अवसर प्रदान किये गये, किन्तु अपीलाण्ट द्वारा शेष 3/4 राशि जमा नही करवाने के कारण जैर अपील आदेश के जरिये जमासुदा 1/4 राशि को जब्त किया गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही विधि अनुसार एवं पारदर्शिता पूर्वक की गई है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नही होने से अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि तहसीलदार मारवाड जंक्शन को मिली सूचना के आधार पर पटवारी हल्का रडावास को तहसीलदार द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में पटवारी हल्का रडावास द्वारा ग्राम रडावास के खसरा नम्बर 458 व 138 में बिना स्वीकृति बनाई गई लगभग तीन लाख ईंटों के कजावा के सम्बन्ध में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए के तहत तथा अवैधानिक रूप से काटे गए हरे पेडों के सम्बन्ध में कार्यवाही कराने का निवेदन किया। इस पर हरे पेडो की कटाई के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी मारवाड़ जंक्शन के समक्ष नियमानुसार प्रकरण प्रस्तुत किया गया तथा तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा दिनांक 30.04.2012 को प्रकरण संख्या 1/2012 दर्ज कर खातेदारान को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 02.05.2012 को गैरसायल गजेन्द्र कंवर, मोहनकंवर एवं डायाराम के बयान कलमबद्ध किये गये तथा जिन अप्रार्थीगण के नोटिस अदम तामील प्राप्त हुए, उनको पुनः नोटिस जारी करने के आदेश पारित किये गये। आदेशिका दिनांक 14.05.2012 के अनुसार भू0अ0नि0 को आदेश दिये गये कि वे खसरा नम्बर 458 रकबा 0.2820 हैक्टेयर में निकाली गई तीन लाख कच्ची ईंटों की नीलामी करने के आदेश पारित दिये गये। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार मारवाड जंक्शन के आदेश क्रमांक/राजस्व/ 868 दिनांक 14.05.2012 के जरिये भू0अ0नि0 को नीलामी कार्यवाही करने हेतु तहरीर जारी की गई। इस आदेश की पालना में भू0अ0नि0 राणावास द्वारा दिनांक 18.05.2012 को नीलामी कार्यवाही की गई, जिसमें सरकारी बोली 51000/– रखी जाकर अन्तिम बोली श्री नथमल पुत्र गोपाराम निवासी बगडी हाल रडावास के

अति. जिला कलेक्टर, पाली

नाम रही। भू0अ0नि0 राणावास द्वारा दिनांक 21.05.2012 को तहसीलदार मारवाड जंक्शन के समक्ष नीलामी कार्यवाही वास्ते स्वीकृति प्रस्तुत की, जिस पर तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा जरिये आदेश क्रमांक/राजस्व/887 दिनांक 21.05.2012 को नीलामी स्वीकृति प्रदान की जाकर 3/4 राशि अन्तिम बोली देहिन्दा से वसूल करने के आदेश दिये गये, जिसकी प्रति अन्तिम बोली देहिन्दा को भी प्रदान की गई। इसके पश्चात दिनांक 25.05.2012 को भू0अ0नि0 राणावास ने तहसीलदार मारवाड जंक्शन के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खुलासा आदेश प्रदान कराने का निवेदन किया, जिस पर तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा जरिये पत्रांक/राजस्व/980 दिनांक 29.05.2012 के भू0अ0नि0 को निर्देशित किया कि अन्तिम बोली दाता से शेष 3/4 राशि वसूल ईंटे सुपुर्द करने के आदेश दिये गये। इसी दिनांक को अन्तिम बोली दाता ने तहसीलदार मारवाड जंक्शन के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ईंटों की संख्या के बारे में खुलासा आदेश प्रदान कराने का निवेदन किया। इसी प्रार्थना पत्र पर स्वयं भू0अ0नि0 द्वारा भी खुलासा आदेश प्रदान कराने का निवेदन किया, लेकिन भू0अ0नि0 द्वारा जो फर्द जब्ती तैयार की गई एवं धारा 90ए की जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसमें तीन लाख ईंटे होने का उल्लेख है एवं उक्त रिपोर्ट को स्वयं भू0अ0नि0 द्वारा जांच किया गया है। इस स्थिति में ईंटों की संख्या के बारे में कोई संशय शेष नहीं रहता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अन्तिम बोली देहिन्दा द्वारा जानबूझ कर यह स्थिति पैदा की गई। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण में अन्तिम बोली दाता द्वारा प्रकरण को मात्र विलम्बित करने की मंशा से अनुचित पत्राचार किया गया। इसके पश्चात तहसीलदार मा0जं0 द्वारा अपने पत्र क्रमांक/राजस्व/ 2012/981–83 दिनांक 30.05.2012 के जरिये शेष 3/4 राशि वसूल करने हेतु नायब तहसीलदार मा0जं0, अतिरिक्त ऑफिस कानूनगों एवं पटवारी हल्का रडावास को निर्देशित किया गया। दिनांक 31.05.2012 को नायब तहसीलदार मा0जं0 ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अन्तिम बोलीदाता का रहवासी मकान रडावास में नही है, वह मात्र रडावास में भूण्डाराम के घर आता जाता रहता है। इस पर भूण्डाराम को इस सम्बन्ध में अन्तिम बोलीदाता को सूचित करने हेतु निर्देशित किया गया। इसके पश्चात दिनांक 03.06.2012, 04.06.2012, 05.06.2012, 06.06.2012 तक अन्तिम बोलीदाता उपस्थित नही होने के कारण वसूली कार्यवाही नही हो सकी। इसके पश्चात दिनांक 12.06.2012 को एक पत्र भू0अ0नि0 के नाम जारी कर अन्तिम बोलीदाता से शेष राशि वसूल करने तथा उसकी प्रति नथमल को प्रेषित की गई, उक्त प्रति पर तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट अनुसार नथमल घर पर नही मिला एवं नोटिस की एक प्रति आबाद मकान पर चस्पा की गई। इस क्रम में दिनांक 13.06.2012 को भू0अ0नि0 द्वारा तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन के समक्ष तीन अन्य कार्मिकों की उपस्थिति अन्तिम बोलीदाता नथमल को फोन लगाया, जो नथमल द्वारा काट दिया गया एवं बात नहीं की। इससे भी नथमल की बोली से मुकरने की मंशा प्रकट होती है। ऐसी स्थिति में वर्षा की ऋतु के समय में ईंटों के गल जाने से होने वाले नुकशान एवं नथमल तथा भू0अ0नि0 की टालमटोल की नीति एवं नीलामी के पश्चात 3/4 राशि जमा करवाने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद राशि जमा नहीं कराने के मध्यनज़र मातहत अदालत के समक्ष बोलीदाता

नथमल की 1/4 राशि जब्त सरकार कर पुनः नीलामी के आदेश दिये जाने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं था। चूंकि प्रकरण में अन्तिम बोलीदाता श्री नथमल द्वारा प्रकरण को विलम्बित करने की गरज से किए गए पत्राचार एवं जानबूझकर की गई देरी के कारण वर्षा ऋतु नजदीक आ गई एवं पुनः जब्तसुदा कच्ची ईंटों की नीलामी में अन्तिम बोली मात्र 20,000/– की ही रही, जो स्पष्टतया पूर्व में हुई नीलामी से अत्यन्त कम होने से राज्य सरकार को जानबूझकर वित्तिय हानि पहुँचाया जाना स्पष्ट है, जिसकी भरपाई किया जाना संभव नहीं हैं तथा इस हेतु समग्र रूप से श्री नथमल ही उत्तरदायी था। इसलिए मातहत अदालत द्वारा बोलीदाता श्री नथमल की ओर से वक्त नीलामी जमा कराई गई 1/4 राशि 37,750/– रूपये जब्त सरकार किए जाने बाबत जो आदेश पारित किया गया है, वह न्यायोचित है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा प्रकरण संख्या 01/2012 सरकार बनाम गजेन्द्रसिंह में पारित आदेश दिनांक 18.06.2012 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 11/5/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली